

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/11/2020 डी.ए.ए. का नं. 5
पी.डी.सी. अधिकारी
पत्रावली अनुसार दिनांक 14/11 को पेश है

सेडर

एस0डी0ओ0/एस0डी0एन0 बयाना

14/11/21 1000 ग्राम 350 ग्राम का प्रमाण पुर्ण
गई। प्रमाण 14/11 को पेश है।
25/11/21 को प्रमाण पुर्ण

25/11/2021 प्रमाण पेश हुआ। प्रमाण ने प्राप्तिना पत्र चार 136 UR
में तहत पेश कर जिम्मेदार किया है कि प्रमाण 300
नं 1036 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा गाँव ग्राम सूखेडा तह
वपाना में स्थित है जिसमें प्राप्ति का पिता रकम-पत्र
फुल 114 भाग के व प्राप्ति का लड़क मन्तरान पुत्र गणु
प्रसाद जाहि-सूखेडा निवासी सूखेडा तह वपाना 114 भाग
सिफेडा स्वतन्त्र कारखाना व कारखाना आगरी है।
उक्त कारखाना उद्योग 1036 (वा 13 बीघा 13 बिस्वा)
से नहरवण 1723, 1724, 1725, 2324 है।



1723 1724 1725 2324
0.28 0.30 0.06 0.90
ग्राम-सूखेडा तह वपाना का है। प्राप्ति के पिता
चार की मरुतु है प्रमाण है सिफेडा कारखाने
सिफेडा के दौरे पर रहने व उक्त स्वतन्त्र कारखाने
कारखाने को-प्राप्ति का लड़क का लड़क का लड़क
उक्त कारखाने में प्राप्ति का आज्ञा का लड़क
कारखाने है। सिफेडा कारखाने की मरुतु
में प्राप्ति को सरत एक तहसी है। अंत में
प्राप्तिना पत्र प्राप्ति स्वीकार कर 2000 1723, 1724
1725 में प्राप्ति के पिता चार व लड़क रकबा



मन्तरान - स्वतन्त्र कारखाने का सिफेडा कारखाने का
जिम्मेदार किया है।
प्राप्तिना पत्र पेश होने पर 500 रकबा
कर प्राप्तिना पत्र अनुसार तहसीलदार - वपाना

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बयाना

H-2016/00556

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

33/16

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सोख
हुक्म

सम्बन्धित तहसीलदार पत्रिका

सं दिनांक ११/०६/१६ की दिशि - चाही गई। तहसीलदार
बयाना के पत्रांक। (P-2016/2011 दिनांक 14/01/17
में दिशि - इस कार्यालय को प्राप्त हुई। तहसीलदार
बयाना की दिशि अनुसार खण्ड नं 1123, 1124,
1125 ग्राम बुरखेडा तहसील बयाना जमात मुम्ता
2069-72 अनुसार चारागाह एवं दिशि है। मिथिल
वन्दोपत्र 2051-2070 एवं हाल जमाती के
बीच कोई बरनाव नहीं हुआ है। उक्त कार्या
चारागाह खाते में दर्ज दिशि है।



हमने सूडकोबैट प्रामा की वरत एडवका
पत्रावली में सबग राजख अखिले जमात
20/09-2012, 2016-2017, मिथिल कोडफल - तहसीलदार
बयाना की दिशि का अखिले मिथिल तहसीलदार
बयाना की दिशि व जमात 2069-72 अनुसार
विषादि आणी चारागाह खाते में दर्ज है।
चारागाह खाते में बांधी - आणी को प्रामा
अपनी खातेदारी आणी में दर्ज कराने की
दादरती - चाहेता है। जो सम्भव नहीं। प्रामा
पत्र प्रामा खाति मोज्य है।

आदेश:

अतः प्रामा पत्र प्रामा खाति किया जाता है।
पत्रावली फेसल होकर नम्बर से कर ले। वाद
तहसील कारखे दादरे हो निम्न भवे हारा
बिस्वाय जाकर सुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)